



**प्रेस विज्ञप्ति**  
**दिनांक:- 19.09.2021**

# **महोबा पुलिस**

**सोशल मीडिया सेल**



## **थाना कोतवाली पुलिस टीम ने** **वाछिंत अभियुक्त को किया गिरफ्तार**



आज दिनांक 19/09/2021 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह के निर्देशन में, अपर पुलिस अधीक्षक श्री आर.के.गौतम के नेतृत्व में, क्षेत्राधिकारी नगर श्री रामप्रवेश राय के पर्यवेक्षण में चलाए जा रहे वाछिंत/वारन्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के तहत थाना प्रभारी कोतवाली आनन्द कुमार के नेतृत्व में मुखबिर खास की सूचना पर वाछिंत अभियुक्त सौरभ सिंह पुत्र विजय सिंह उम्र 19 वर्ष निवासी कल्याणनगर थाना कोतवाली जिला महोबा को सम्बन्धित **मु0अ0सं0 410/21 धारा 452/376(3) भादवि व 3/4 पाक्सो एक्ट व 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट व 67/67A आईटी एक्ट व 4 स्त्री अशिष्ट रूपण अधिनियम** के तहत गिरफ्तार कर अभियुक्त के विरुद्ध थाना हाजा पर आवश्यक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

### **गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-**

सौरभ सिंह पुत्र विजय सिंह उम्र 19 वर्ष निवासी कल्याणनगर थाना कोतवाली जिला महोबा।

### **गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-**

1. व0उ0नि0 श्री आनन्द कुमार
2. कां0 अरविन्द कुमार



**प्रेस विज्ञप्ति**  
**दिनांक:- 19.09.2021**

# महोबा पुलिस

**सोशल मीडिया सेल**



**मिशनशक्ति नोडल अधिकारी द्वारा महोबा शहर में भ्रमण कर सार्वजनिक स्थलों जैसे-चौराहे, बाजार, कॉलेज, कोचिंग संस्थान व अन्य सार्वजनिक स्थलों में महिलाओं/बालिकाओं को सुरक्षा संबंधी अधिकारों तथा साइबर अपराधों के प्रति जागरूक किया गया**



महिलाओं/बच्चियों के विरुद्ध घटित होने वाले अपराधों एवं उन पर होने वाले उत्पीड़न के रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान “मिशन शक्ति फेज-3” के तहत आज दिनांक **19.09.2021** को पुलिस अधीक्षक महोबा के निर्देशन में जनपद के समस्त थाना क्षेत्रों में महिला बीट पुलिस अधिकारी व अन्य पुलिसकर्मियों के साथ विभिन्न ग्रामों में चौपाल/कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

जिसमें महिलाओं/बालिकाओं को “मिशन शक्ति फेज-3” के तहत मिशनशक्ति/एण्टीरोमियों टीम नोडल अधिकारी श्रीमती रचना राजपूत मय टीम एवं थानों की एण्टीरोमियो टीम द्वारा सार्वजनिक स्थलों जैसे-चौराहे, बाजार, कॉलेज, कोचिंग संस्थान व अन्य सार्वजनिक स्थलों को असामाजिक तत्वों से मुक्त कराये जाने तथा महिलाओं एवं बालिकाओं के साथ राह चलते छेड़खानी, अभद्रता, अश्लील प्रदर्शन तथा अभद्र टिप्पणियाँ

इत्यादि की घटनाओं को रोकने के लिये जागरूक किया गया तथा महिला/बालिकाओं को सुरक्षा संबंधित सेवाएँ जैसे यू0पी0-112 नम्बर/1090 वूमेन पावर लाइन /181 महिला हेल्प लाइन/1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन/1098 चाइल्ड हेल्प लाइन/102 स्वास्थ्य सेवा/108 एम्बूलेन्स सेवा/155260 साइबर सुरक्षा के बारे में जानकारीयाँ दी गई।

इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओं की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हैल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला कर्मियों द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है। इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हैल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओं को हैल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेट रखाये हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया।





**प्रेस विज्ञप्ति**  
**दिनांक:- 19.09.2021**

# महोबा पुलिस

**सोशल मीडिया सेल**



## **जनपदीय पुलिस द्वारा जनपद में पैदल गस्त करके करबे में की गई संदिग्धों की चेकिंग**



आज दिनांक 19.09.2021 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह के कुशल निर्देशन में जनपद में शान्ति/कानून-व्यवस्था के मद्देनजर समस्त थानों द्वारा अपने थाना क्षेत्र के मुख्य बाजार, धार्मिक-स्थल, बस-स्टैण्ड, ढाबा आदि जगहों पर पैदल गस्त करके संदिग्ध वाहनों/व्यक्तियों की चेकिंग की गई तथा सुरक्षा के दृष्टिगत मन्दिरों में पुलिस तैनात किया गया है, साथ ही लोगों को कोविड संक्रमण की तीसरी लहर के प्रति सचेत करते हुए मास्क का प्रयोग व 02 गज की दूरी सहित कोविड गाइडलाइन का पालन करने की अपील की गई। इसी क्रम में जनपदीय पुलिस द्वारा

शराब की दुकानों का निरीक्षण किया गया एवं सेल्समैन को आवश्यक दिशा निर्देश दिए।

यातायात नियमों के उल्लंघन पर **109 ई-चालान** तथा कोविड नियमों के उल्लंघन पर **14 व्यक्तियों से 5000 ₹** वसूला गया।

